

(10)

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 259 जयपुर/200 4-05

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वामी गंगादास शिक्षा समिति

वालेसर (नौरंगपुरा)

जिला जयपुर

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 12 माह जुलाई सन दो हजार 2004

को जयपुर में किया गया।



रजिस्ट्रार संस्थाएं

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 2751352

2751417

259/2003-04

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र



:: मुद्रक एवं विक्रेता ::

राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड

जी-1/138, मालवीय इण्ड ऐरिया, जयपुर। फोन : 2751352, 2751417

प्राप्ति स्थल :

राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.

पोलोविकट्री के पास, जयपुर-1 फोन : 2374969

शपथ-पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था स्वामी गंगादास शिक्षा समिति के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि :-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था स्वामी गंगादास शिक्षा समिति के पंजीयन हेतु कुल 15 आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पत्र पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं हैं।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थाएँ जयपुर (राज.) को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएँ, जयपुर (राज.) को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

विजयलाल
अध्यक्ष

सुमन शर्मा
मन्त्री

सुमन शर्मा
कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएँ जयपुर (राज.) को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

विजयलाल
अध्यक्ष

सुमन शर्मा
मन्त्री

सुमन शर्मा
कोषाध्यक्ष

नोट :- यह शपथ पत्र रुपये 10/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा।

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएँ प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।

2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।
---------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	--

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।

5. बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।

6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।

7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र

हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

8. तुलनात्मक स्टेटमेंट निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
---------	----------------------	-----------------------	--

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।

10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।



राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)

तथा

संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये/बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा - 20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा :- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात् :-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक, अनाथ निधियां, ¹(खादी और ग्रामोद्योग), साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

10. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय से प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कॉपी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

1. राज. राज-पत्र विशेषांक 4 (क) दिनांक 17.5.95 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 7, एवं शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो तो उपयुक्त रहेगा।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले हों तो उपयुक्त रहेगा।
19. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
20. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हों तथा पति की विधवा माँ जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।
21. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
22. अधिसूचना क्रमांक प.4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

स्वामी गंगादास शिक्षा समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम स्वामी गंगादास शिक्षा समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय: इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय जलेश्वर, पंजाब, विराटनगर है तथा कार्यक्षेत्र जयपुर (राजस्थान) क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-
 1. शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास।
 2. गिरक्षता के कंधों को झटाना, सभी को साक्षर करना।
 3. सभी जाति वर्ग एवं लिंग के भेदभाव बिना शिक्षा देना।
 4. शिक्षार्थियों का चारित्रिक विकास करने में स्वाध्यायी बनाना।
 5. राष्ट्रियता की भावना जागृत करना व सुजागरित बनाना।
 6. भारतीय धर्म एवं संस्कृति से कुतर्कसंस्कारित शिक्षा देना।
 7. सामाजिक कुसूरियों व समस्याओं को समाप्त करना।
 8. चारीव, पीछे, जेसहारा एवं गेबुलंग बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना।
 9. आध्यात्मिक एवं गुरुवृत्त शिक्षा देना।
 10. बाल विधवा हेतु अन्य कार्य करना।
 11. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संस्कृति व जातुभावा के समापन में अग्रणी भूमिका निभाना।
 12. शिक्षण कार्य पुरस्कृत कर श्रेष्ठ कार्य करवाना जो संस्था एवं देश के हित के लिये।
 13. शैली एवं संस्था के विकास के निरन्तर चलते रहना।
 14. संस्था के बालक बालिकाओं के शारीरिक विकास करना एवं रक्षक बनाना।
 15. संस्था के कार्यक्षेत्र में शक्ति जागृत करना ताकि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

विश्वनाथ
अध्यक्ष

मन्त्री

सुजन शर्मा
कोषाध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	नरेश कुमार शर्मा डी० श्री गुरुदेव (राधा) शर्मा	शिक्षण	मु. बलेसर पो. नौरंगपुर बायाँ मेड जिला जयपुर (राज.)	सचिव (मन्त्री)
2.	चिखरी लाल सोनी डी० मा. दुधारा शर्मा	खेती	ग्राम नौरंगपुर बायाँ मेड जिला जयपुर (राज.)	अध्यक्ष
3.	श्रीमति सुमन शर्मा डी० श्री विनोद कुमार शर्मा	शिक्षण	ग्राम बलेसर पो. नौरंगपुर बायाँ मेड जिला जयपुर (राज.)	कोषाध्यक्ष
4.	श्री जयशर्मा शर्मा डी० श्री सुलतान शर्मा	कृषि	ग्राम बलेसर पो. नौरंगपुर बायाँ मेड जिला जयपुर (राज.)	सदस्य
5.	श्री धनश्याम सिंह शर्मा डी० श्री जयशर्मा शर्मा	कृषि	ग्राम बलेसर पो. नौरंगपुर मेड जिला जयपुर (राज.)	सदस्य
6.	श्री उमराव लाल शर्मा डी० श्री धनश्याम शर्मा	कृषि (सी. पी. एस.)	ग्राम भैरवपुर पो. नौरंगपुर बायाँ मेड जिला जयपुर (राज.)	सदस्य
7.	श्री बलदेव लाल शर्मा डी० श्री माधोराज शर्मा	कृषि	ग्राम बलेसर पो. नौरंगपुर बायाँ मेड जिला जयपुर (राज.)	सदस्य
8.	श्री गणेश सिंह शर्मा डी० श्री रामनाथ सिंह शर्मा	कृषि	ग्राम बलेसर पो. नौरंगपुर जिला जयपुर (राज.)	सदस्य
9.	श्री लाल सिंह डी० श्री हरि सिंह	कृषि (सी. पी. एस.)	ग्राम नौरंगपुर बायाँ मेड जिला जयपुर (राज.)	सदस्य
10.	श्री गोपाल शर्मा डी० श्री विश्वनाथ शर्मा	कृषि (सी. पी. एस.)	ग्राम नौरंगपुर बायाँ मेड जिला जयपुर (राज.)	सदस्य
11.	श्री लाल शर्मा डी० श्री लाल शर्मा	कृषि	ग्राम बलेसर पो. नौरंगपुर बायाँ मेड जिला जयपुर (राज.)	सदस्य
12.	श्री लाल शर्मा डी० श्री लाल शर्मा	कृषि	ग्राम बलेसर पो. नौरंगपुर बायाँ मेड जिला जयपुर	सदस्य
13.	श्री लाल शर्मा डी० श्री लाल शर्मा	कृषि	ग्राम बलेसर पो. नौरंगपुर बायाँ मेड जिला जयपुर	सदस्य
14.	श्री लाल शर्मा डी० श्री लाल शर्मा	कृषि	ग्राम बलेसर पो. नौरंगपुर बायाँ मेड जिला जयपुर	सदस्य
15.	श्री लाल शर्मा डी० श्री लाल शर्मा	कृषि	ग्राम बलेसर पो. नौरंगपुर बायाँ मेड जिला जयपुर	सदस्य

चिखरी लाल
अध्यक्ष

श्रीमती
मन्त्री

सुमन शर्मा
कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री ६०१ श्री गुरुदास	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	श्री गुरुदास
2.	ड/० श्री शंकरलाल गुज्जर	रिहायश	गांव नौरंगपुरा पो. नौरंगपुरा	ड/० श्री शंकरलाल
3.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	निजी व्यवसाय (बी.पी.एस.)	गांव नौरंगपुरा पो. नौरंगपुरा	ड/० श्री ६६ गंगल
4.	श्री जेशमिंदर शंकर	निजी व्यवसाय	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	श्री जेशमिंदर
5.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	ड/० श्री ६६ गंगल
6.	का. राम शंकर ड/० सताराम शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	का. राम शंकर
7.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	ड/० श्री ६६ गंगल
8.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	ड/० श्री ६६ गंगल
9.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	ड/० श्री ६६ गंगल
10.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	ड/० श्री ६६ गंगल
11.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	ड/० श्री ६६ गंगल
12.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	ड/० श्री ६६ गंगल
13.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	ड/० श्री ६६ गंगल
14.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	ड/० श्री ६६ गंगल
15.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	ड/० श्री ६६ गंगल
16.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	ड/० श्री ६६ गंगल
17.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	ड/० श्री ६६ गंगल
18.	ड/० श्री ६६ गंगल शंकर	रिहायश	मु.पो. नौरंगपुरा बाया मैड गिला जमहर (राज.)	ड/० श्री ६६ गंगल

१. रिहायशी गंगल
अध्यक्ष

मन्त्री

सुमन शर्मा
कोषाध्यक्ष

[illegible]

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने

अपनी हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

(१) संस्था का पंजीयन क्रमांक 255
(२) संस्था का नाम राष्ट्रीय संग्रहालय
(३) किस्त दस्तावेज मूल
(४) दस्तावेज की सं. 16
(५) दिनांक पंजीयन 12/11
६ दस्तावेज रजिस्टार

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

ਪਿਰੰਗੀ ੧੭੭੯
ਅਧਯਕਸ਼

मन्त्री

मुमन शर्मा
कोषाध्यक्ष

Attested
(Signature) (7)
NOTED 11/6/04
Shashoua (Jatour) Pak

X

6

.....एवमी गंगादास शिक्षा समिति.....समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम एवमी गंगादास शिक्षा समिति
.....समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय: इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय खेतरा पंचस विहार नगर
तथा कार्यक्षेत्र जयपुर (राज.) है
तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-
 1. शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास व
 2. फिरसरा के फलरु को मिटाना, सभी को साक्षर करना।
 3. सभी जाति स्वयं एवं लिंग के भेदभाव बिना शिक्षा देना।
 4. शिक्षार्थियों का चारित्रिक विकास करके स्वावलम्बी बनाना।
 5. राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना व सुजागरित बनाना।
 6. भारतीय धर्म एवं संस्कृति से कुल संस्कारित शिक्षा देना।
 7. समाजिक कुरीतियों एवं समस्याओं को समाप्त करना।
 8. गरीब, पीड़ित, बेसहारा व विरुद्ध बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना।
 9. आध्यात्मिक एवं गुणवत्ता शिक्षा देना।
 10. बाब विकास हेतु अन्य कार्य करना।
 11. गांधीन सोचों से शिक्षा संस्कृति व नातृभावा के साथ साथ झुंजी भावा का भी ज्ञान करवाया जावेगा।
 12. शिक्षण कार्य पारम्परिक करके ही कार्य करवाना जो संस्था एवं देश के हित में सुहावने सिद्ध होसके।
 13. खोली हुई संस्था में बालक के विकास हेतु प्रभावरत रहना।
 14. संस्था में वास्तविकता को धारित करके विकास करना एवं सकल जागरित बनाना।
 15. संस्थापित कार्य क्षेत्र से रुचि जागृत करना व शिक्षा में प्रति उत्पन्न होसके।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

मि. राजीव लाल
अध्यक्ष

मि. राजीव
मन्त्री

सुमान शर्मा
कोषाध्यक्ष

(6)

(11)

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।
1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
 2. बालिग हों।
 3. पागल, दिवालिये न हों।
 4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।
5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-
- | | |
|-------------|-----------|
| 1-संरक्षक | 2-विशिष्ट |
| 3-सम्माननीय | 4-साधारण |
- (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)
6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-
- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 1-संरक्षक | राशि..... 100/00 Rs. वार्षिक/आजन्म |
| 2-विशिष्ट | राशि..... 50/00 Rs. वार्षिक/आजन्म |
| 3-सम्माननीय | राशि..... 10/00 Rs. वार्षिक |
| 4-साधारण | राशि..... 5/00 Rs. वार्षिक |
- उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु..... रु मुश्त की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।
7. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-
- 1-मृत्यु होने पर
 - 2-त्याग पत्र देने पर
 - 3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
 - 4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर
8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।
- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
 - 2- वार्षिक बजट पारित करना।
 - 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
 - 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
- (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

परमजीवाल
अध्यक्ष

मन्त्री

सुमन शर्मा
कोषाध्यक्ष

10. साधारण सभा की बैठकें

- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
- 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
- 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन

: संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. अध्यक्ष-एक | 2. उपाध्यक्ष-एक |
| 3. मंत्री-एक | 4. कोषाध्यक्ष-एक |
| 5. सदस्य-सात | |

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारी व सदस्य कुल सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य

: संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

परगीवाल
अध्यक्ष

मन्त्री

शुभन रेवा
कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की
को बैठकें

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के
पदाधिकारियों के
अधिकार व कर्तव्य

: संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- अध्यक्ष

- 1-बैठकों को आहूत करना।
- 2-मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
- 3-बैठकें आहूत करना।
- 4-संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- 5-संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2- उपाध्यक्ष :

- 1-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- 2-प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- मंत्री :

- 1-बैठकें आहूत करना।
- 2-कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
- 3-आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
- 4-वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।
- 5-संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 6-पत्र व्यवहार करना।
- 7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4- उपमंत्री :

- 1-मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
- 2-अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

5- कोषाध्यक्ष :

1-वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2-दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3-चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4-अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

(1) संस्था का पंजीयन नम्बर	2519
(2) संस्था का नाम	राजस्थान राज्य
(3) किस्त दस्तावेज	26
(4) दस्तावेज की संख्या	24
(5) दिनांक पंजीयन	15
(6) हस्ताक्षर रजिस्ट्रार	15

चन्दा

शुल्क

अनुदान

सहायता

राजकीय अनुदान

1-

2-

उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी

विशेषाधिकार

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1- अध्यक्ष..... 1100/- रु.

2- मन्त्री..... 2100/- रु.

3- कोषाध्यक्ष..... 2100/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण करया जावेगा।

19. संस्था का विधान

में परिवर्तन

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे जोखे

का निरीक्षण

रजिस्ट्रार संस्थाएं (जयपुर शिबिर) को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं (जयपुर शिबिर)

प्रमाणित
अध्यक्ष

मन्त्री

सुमन शर्मा
कोषाध्यक्ष



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 259/JAIPUR/2004-05

दिनांक / DATE- 07-04-2025

SWAMI GANGADAS SHIKSHA SAMITI जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा- 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड मे संधारित किया जाता है।

SWAMI GANGADAS SHIKSHA SAMITI DISTRICT Kotputli-Behror IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTEED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958














SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Abhishek Jaidya	MALE	MEMBER		10/09/1998
2		Anurag Sharma	MALE	STAFF PRATINIDHI		31/07/1996
3		Ashok Kumar Saini	MALE	STUDENT PRATINIDHI		10/07/2006
4		Avinash Nehra	MALE	MEMBER		30/05/1979
5		Balla Ram Saini	MALE	ABHIBHAVAK PRATINIDHI		01/01/1970

Signature Not Verified

Digitally signed by Udai Deep Singh Rathore
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.07 16:57:27 IST
Reason: Approved
Location: Kotputli-Behror



Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Bindubala	FEMALE	MEMBER		01/01/1900
7		Chanchala Devi Choudhary	FEMALE	TREASURER		16/03/1965
8		Harish Saran	MALE	MEMBER		19/02/1992
9		Jitendra Meena	MALE	MEMBER		26/07/1983
10		Kishan Singh Shekhawat	MALE	MEMBER		04/04/1977
11		Madhu Kanwar	FEMALE	MEMBER		01/01/1900
12		Manoj Kumar Sahrma	MALE	MEMBER (SHIKSHAWID)		05/11/1980
13		Naveen Choudhary	MALE	SECRETARY		26/06/1985
14		Neetu Nehra	FEMALE	MEMBER		26/08/1986
15		Sandeep Yadav	MALE	MEMBER (SHIKSHAWID)		22/12/1982
16		Seema Choudhary	FEMALE	MEMBER		14/11/1986
17		Suman Choudhary	FEMALE	MEMBER		05/04/1991
18		Vijendra Choudhary	MALE	PRESIDENT		01/03/1964

नोट— इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।



Signature Not Verified

Digitally signed by Udai Deep Singh Rathore
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.04.07 16:57:27 IST
Reason: Approved
Location: Kotputli-Behror

